



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): चंद्रपुर P.S.(ठाणे): माजरी तहसील Year (वर्ष): 2020
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0215 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 08/09/2020 18:39 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	7

3. (a) Occurrence of offence (गुन्हाची घटना):

1. Day(दिवस): मंगलवार Date From (दिनांक पासून): 08/09/2020
Time Period (कालावधी): पहर 4 Date To (दिनांक पर्यंत): 08/09/2020
Time From (वेळेपासून): 11:55 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 12:25 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):

Date (दिनांक): 08/09/2020 Time (वेळ): 13:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 024 Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 08/09/2020 18:39 बजे

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

1.(a) Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर): पश्चिम, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): रेचल किराणा स्टोर्स समोर, माजरी, भद्रावती

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) Name (नाव): विरबहादुर बडक प्रसाद

(b) Father's/Husband's Name(वडील / पती चे

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1985

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No.(पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No.(अ.)	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) Address (पत्ता):

(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ. क्र.)	Address Type (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	चैतन्य कॉलणी वार्ड नं 3, माजरी कॉलरी, भद्रावती, माजरी तहसील, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पता	चैतन्य कॉलणी वार्ड नं 3, माजरी कॉलरी, भद्रावती, माजरी तहसील, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहित असलेल्या /संशयित/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	संजय तानबा सोनारकर			1. ग्रामपंचायत कार्यालय, माजरी, भद्रावती, माजरी तहसील, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

9. Particulars of properties of interest (संबंधित मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value (In Rs/-) (मुल्य (रु. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	500 च्या तिन नोटा	1,500.00

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

1,500.00

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास):

S.No. (अ. क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी. बी.क्र.)

12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

फिर्याद दिनांक 08/09/2020मै, बिरबाहादुर बडक प्रसाद उम्र 38 साल, धंदा चहा टपरी, रहना चैतन्य कलनी, वार्ड क्र. 03 माजरी, तह भद्रावती जि. चंद्रपुरमैने ता. 07/09/2020 को पुलीस निरीक्षक, श्रीमती वैशाली डाले, अंन्टी करप्शन ब्यूरो, चंद्रपुर इनके समक्ष एक लोकरसेवक के विरुद्ध रिश्वत मागने के संबंध मे मैने मेरे साथ लाया हुआ मैने दस्तखत किया हुआ लेखी तक्रार अर्ज दिया। मैने दि हुई तक्रार इसतराह है..... मै उपरोक्त पतेपर अपने परिवार के साथ रहता हुं और मै मेरी खुद की, चाय और नास्ता कि दुकाण (टपरी) माजरी मे चलाता हुं। हमारे माजरी गाव मे ग्रामपंचायत कि और से स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत गव के घर घर मे शौचालय (संडास) बनाने के लिये ग्रामपंचायत कि और से पैसे मिलने वाले थे। लेकिन उसके लिये पहले हमे खुद के पैसोसे घरमे शौचालय (संडास) का बांधकाम पुरा करना पडता था। शौचालय (संडास) काम पुरा होने के बाद ग्रामपंचायत के लोग घरपर आकर शौचालय (संडास) का बांधकाम पुरा हुवा कि नही उसकी छानबीन करते थे। उसके बाद अगर शौचालय का बांधकाम पुरा हो गया होगा तो ग्रामपंचायत कि और से पैसे मिलते है। तौ मैने भि वो पैसे मिलने के लिये माजरी ग्रामपंचायत मे अर्ज दिया था। उसके बाद मैने अपने घर पे खुद के पास के पैसे लगाके शौचालय (संडास) का बांधकाम पुरा किया। ता. 05/09/2020 को दोपहर मे मुझे मेरे मोबाईल न.9822364161 पर माजरी ग्रामपंचायत मे काम करनेवाले संजय सोनारकर बाबु इनके मोबाईल न.9764192520 से फोन आया और संजय सोनारकर बाबु मुझे बोले कि, तुझे जो शौचालय (संडास) के बांधकाम के लिये ग्रामपंचायत के और से जो पैसे मिलने वाले थे उन पैसोका 12,000/- रुपये का चेक आ गया है तुझे अगर 12,000/- रुपये का चेक चाहीये तो मुझे 2,000/-रुपये देने पडेंगे ऐसा बोल कि फोन रख दिये। उसके बाद ता.06/09/2020 शाम को तकरीबन 06.00 बजे ग्रामपंचायत मे काम करनेवाला संजय सोनारकर बाबु मेरे दुकान पे आया उसने मुझे मेरे नाम का 12,000/-रुपये का चेक दिखाया मैने चेक गौर से देखा तौ वो मेरे नाम का था और उसपर सरपंच और ग्रामसेवक इन दोनो की सही करके थी मैने संजय सोनारकर बाबु को बोला कि मुझे चेक दे दो तौ उसपर संजय सोनारकर बाबु बोले कि, तुझे अगर 12,000/- रुपये का चेक चाहीये तो मुझे 2,000/-रुपये देने पडेंगे क्यों कि, वो पैसे मुझे साहब को देने पडते है। मैने उसपर संजय सोनारकर बाबु को बोला कि, 2,000/-रुपये बोहत जादा हो रहे है। तुम मुझे साहब का नाम बताओ मै खुद जाके साहब से मिल लेता हु। लेकिन मैने बोहत बार संजय सोनारकर बाबु को साहब का नाम पुंछा मगर उसने मुझे किसी का भी नाम बताया नही और मुझे बोले कि, तुझे अगर 12,000/- रुपये का चेक चाहीये तो मुझे 2,000/-रुपये देने पडेंगे अगर तुने मुझे 2,000/- रुपये नही दिये तो तुझे चेक नही मिलेगा ऐसा बोल के माजरी ग्रामपंचायत के संजय सोनारकर बाबु निकल गया। इसके पहले भी मैने बोहत बार ग्रामपंचायत माजरी यहा पे जाकर मुझे मिलनेवाले चेक के बारे मे पुछताछ कि थी। पर मुझे ग्रामपंचायत के किसीभी साहब ने मुझे पैसे मांगे नही। ग्रामपंचायत माजरी मे काम करनेवाला संजय सोनारकर बाबु ने मुझे मेरे नाम का 12,000/-रुपये का चेक दिखाया था उसपर सरपंच और

ग्रामसेवक सही दोनों कि सही है और मेरा चेक तयार है फिर भी संजय सोनारकर मुझे जान बुझके चेक नहीं दे रहा है और साहाबा का बहाना बनाकर खुद के लिये मुझे 2,000/-रुपये कि रिश्वत मांग रहा है। मेरी ग्रामपंचायत माजरी में काम करनेवाले संजय सोनारकर को 2,000/-रुपये रिश्वत देनेकी बिलकुल भी इच्छा नहीं है। इस वजह संजय सोनारकर के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये मैं लेखी तक्रार अर्ज दे रहा हु। उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्रीमती वैशाली ढाले मडमने उनके ऑफिस में पहलेसे गोपनीय काम से हजर पंच को हमारे सामने हाजिर किये। उसके बाद दोनों पंचोंकी और अँट्टी करप्शन ऑफिस चंद्रपूर याहा मौजूद स्टफ कि मुझसे पहचान कराके दि। उसके बाद ढाले मडम ने दोनों पंचोंको थोडी हकीकत बताके मैंने मेरे साथ लाई हुई मेरे दस्तखत कि हुई लेखी रिपोर्ट पंचोंको पढ़ने के लिये दि। उसके बाद मेरी दि गयी रिपोर्ट पे दोनों पंचोने दस्तखत किये। उसके बाद पुलीस निरीक्षक ढाले मडम ने उन रिपोर्ट पे दस्तखत किये। उसके बाद पुलीस निरीक्षक ढाले मडम के सुचना के अनुसार पोक रविकुमार ढेंगळे इन्होने व्हाईस रेकर्डर किस प्रकार काम करता है इसके बारे मे पुरी जानकारी दि। उसके बाद ढाले मडम ने पंच के समक्ष रिश्वत कि मांगकी छानबीन (पडताळणी) करनी है ऐसा बताके छानबीन (पडताळणी) दौरान बातचीत डिजीटल व्हाईस रेकर्डरद्वारा रेकर्ड कि जाने वाली है ऐसा बताया। और सापळा कार्यवाही दौरान लिये जाने वाली दक्षता के बारे मे विस्तार से सुचनाये दि। उसके बाद पुलीस निरीक्षक ढाले मडम ने मेरे पास से सापळा कार्यवाही के लिये उपयोग मे आने वाली रिश्वत कि रक्कम 2,000/-रुपये (रु.500/-कि 04 चलनी नोट) लिये। उसवक्त स्टफ के एक कर्मचारी ने सभी नोटोंके नंबर लिख लिये। उसके बाद वही नोटों को अँन्ध्रासिन पावडर लगाना है ऐसा बताके अँन्ध्रासिन पावडर के गुणधर्म बताके उसका प्रात्यक्षीक कर के दिखाया और रिश्वत के तौर इस्तमाल कि जाने वाली सभी नोटों पर अँन्ध्रासिन पावडर लगाके उसको एक लिफाफे मे डाल के लिफाफा पंचों के सामने सिलबंद किया। उसके बाद मैं, दो पंच और अँट्टी करप्शन ब्युरो, चंद्रपूर के पोलीस निरीक्षक श्रीमती वैशाली ढाले मडमने उनके ऑफिस कर्मचारी के साथ सरकारी गाडी से और मैं आपने मोटर सायकल क्र. एम.एच. 34 पि. 9553 से साथ मे माजरी जाने के लिये निकले और माजरी आके माजरी के पुराने पोलिस स्टेशन के पास एक जगह रुक गये। तब संजय सोनारकर ये काहा पर है ये जानने के लिये मुझे ढाले मडम ने मुझे संजय सोनारकर को फोन करके वो कहा पर है ये पुछने के लिये बोला। तो मैंने संजय सोनारकर को फोन करके पुछा कि वो कहा है तो संजय सोनारकर मुझे बोला कि मैं पेट्रोलपंप पे पेट्रोल भरने जा रहा हु तु मुझे जल्दीसे पेट्रोलपंप आके मिल। उसके बाद पुलिस निरीक्षक ढाले मडम ने पंचों के सामने गैरअर्जदार इनके तरफ रिश्वत कि मांगकी छानबीन (पडताळणी) कार्यवाही करणी है ऐसा बताके ढाले मडम के सुचना के अनुसार पोक रविकुमार ढेंगळे इन्होने व्हाईस रेकर्डर मे एक नया मेमोरी कार्ड डाल के व्हाईस रेकर्डर को चालु करके पंच क्र. 01 के आवाज मे छानबीन (पडताळणी) कार्यवाही हेतु जाने के बारे मे प्रमाणपत्र पढके व्हाईस रेकर्डर काले धागेसे मेरे गलेमे मे किसीको दिखाई नहीं देगा इस हिसाब से सुरक्षीत बांध दिया। और मुझे मेरी मोटर सायकल क्र. एम.एच. 34 पि. 9553 से पंच क्र. 01 के साथ मुझे पेट्रोलपंप पर भेज दिया। छानबीन (पडताळणी) कार्यवाही दौरान ग्रामपंचायत माजरी मे काम करनेवाले संजय सोनारकर ने मुझे 1,500/-रुपये मांग कि और शाम के 06.00 बजे तक मैं खुद पैसे लेने के लिये तेरे दुकान पर आता हु ऐसा बोला। छानबीन (पडताळणी) कार्यवाही पुरी करके जिस जगाह पे रुके हुये थे वही जगह पर वापस आये तब पंच क्र. 01 के आवाज मे छानबीन (पडताळणी) कार्यवाही पुरी करणेका प्रमाणपत्र पढके व्हाईस रेकर्डर बंद किया गया। उसके बाद पुलिस निरीक्षक ढाले मडम ने मुझे 01 व 02 के समक्ष व्हाईस रेकर्डरमे रेकर्ड हुये वाली बातचीत कि टेप सुनके ग्रामपंचायत माजरी मे काम करनेवाले संजय सोनारकर ने मुझे स्वच्छ भारत अभियान योजना अंतर्गत मिलनेवाले अनुदान का चेक देने के लीये तडजोड करके 1,500/-रुपये की मांग करके शाम के 06.00 बजे तक मेरे खुद कि दुकान पर आकर स्विकार करणे की तयारी दर्शाने की बाद निश्चीत की गयी। उसपर संजय सोनारकर के विरुद्ध आगे की सापळा (ट्रप) कार्यवाही करनेका तैय किया गया। लेकीन संजय सोनारकर ये शाम के 06.00-07.00 बजे तक मेरे दुकान पर आया नहीं तब श्रीमती ढाले मडम ने मुझे बोला कि आगेकी सापळा कार्यवाही कल ता. 08/09/2020 रोज को करते है तुम कल सुबह 10.00 बजे नियोजीत जगह पर आ जाना ऐसा बोल के श्रीमती ढाले मडम, दोनों पंचों और स्टफ के साथ वापस चले गये। दुसरे दिन ता. 08/09/2020 को सुबह 10.00 बजे श्रीमती ढाले मडम बताये मुताबिक कल वाले नियोजीत जगह पर पहुंच गया तब वाहा पर श्रीमती ढाले मडम, दोनों पंचों और स्टफ के साथ पहलेसेहि आकर थे। तब संजय सोनारकर ये काहा पर है ये जानने के लिये मुझे ढाले मडम ने मुझे संजय सोनारकर को फोन करके वो कहा पर है ये पुछने के लिये बोला। तो मैंने संजय सोनारकर को फोन करके पुछा कि वो कहा है तो संजय सोनारकर मुझे बोला कि तु अभी माजरी गव के चर्च के पास आजा मैं तुझे चर्च के पास मिलता हु। उसके बाद मुझे अँन्ध्रासिन पावडर लगाई हुई रिश्वत कि रक्कम सिलबंद लिफाफेसे निकालकर मेरे पन्ट के पिछलेवाले जेब मे रख दि गयी। सापळा (ट्रप) कार्यवाही के दौरान लि जाने वाली दक्षताके के बारे मे सुचना देके लोकसेवक इन्होने खुद या किसी और व्यक्ती के माध्यम से रिश्वत रक्कम स्विकारनेपर अपने गलेमेका दुपट्टा निकालकर हात मे लेके इशारा करणे का मुझे बताया गया। तब सापळा कार्यवाही टिम के सदस्योंको इशारा मिलतेही रिश्वत रक्कम स्विकार करणेवाले व्यक्ती को रोंगे हात पकडेंगे ऐसा मुझे बताया गया। उसके बाद पुलिस निरीक्षक ढाले मडम ने उनके स्टफ के कुछ लोगोंको माजरी गव के चर्च के पास जाके गुप्त तरीकेसे रुकने के लिये आगे भेज दिया। उसके बाद ढाले मडम के सुचना के अनुसार पोक रविकुमार ढेंगळे इन्होने व्हाईस रेकर्डर चालु करके पंच क्र. 01 के आवाज मे सापळा कार्यवाही हेतु जाने के बारे मे प्रमाणपत्र पढके व्हाईस रेकर्डर काले धागेसे मेरे गले मे किसीको दिखाई नहीं देगा इस हिसाब से सुरक्षीत बांध दिया। और मेरे मेरी खुद की मोटर सायकल से पंच क्र. 01 के साथ मुझे माजरी गव के चर्च के पास भेज दिया। सापळा कार्यवाही मे ढाले मडम और उनका बाकीका स्टफ उनके सरकारी गाडी से मेरे गाडी के पिछे पिछे आये। उसके बाद मैं, पंच क्र. 01 के साथ माजरी गव के चर्च के पास पहुंच गया और मैं संजय सोनारकर का चर्च के पास आनेका इंतजार करने लगा कुछ देर बाद संजय सोनारकर चर्च के पास आके मुजसे मिले और थोडी बातचीत कि। तब उन्होने मांगे हुये रिश्वत के 1,500/-रुपये अँन्ध्रासिन पावडर लगाके लाई हुई रक्कम मैंने मेरे पन्ट कि पिछली जेब से निकालकर ग्रामपंचायत माजरी मे काम करनेवाले संजय सोनारकर इनके हात मे दे दिये तब संजय सोनारकर ने मेरे नाम का 12,000/-रु. चेक मुझे दे दिया। उसके बाद मैंने सापळा टिम को मेरे गलेमे का दुपट्टा निकाल कर हात मे लेके रिश्वत रक्कम स्विकार किये जाने का नियोजित इशारा किया। तभी ढाले मडम और उनकी सापळा टिमने ग्रामपंचायत माजरी मे काम करनेवाले संजय सोनारकर को संग्रहात पकडकर आगे की कार्यवाही कि। संजय सोनारकर, वसुलनिस/परिचर, ग्रामपंचायत माजरी इन्होने अपने पद का दुरपयोग करके मुझे स्वच्छ भारत अभियान योजना अंतर्गत मिलनेवाले अनुदान का चेक देने के लीये तडजोड करके 1,500/-रुपये रिश्वत कि पंच समक्ष मांग करके मेरे तरफ से 1,500/-रुपये कि रिश्वत स्विकार कि। इसलिये मेरी उनके खिलाफ लाचलुचपत प्रतिबंध कायद्ये के अनुसार कार्यवाही होणे के लिये फियार्द है। मेरी फियार्द मैंने बताये मुताबिक लपटप पे टाईप कि है। प्रिंट निकालके मैंने दि हुई फियार्द मुझे पढकर बताई मेरे बताये मुताबिक बराबर है। समक्ष (वैशाली ढाले) पोलीस निरीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, चंद्रपूर

13. Action Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम/ हाती घेतले): SADASHIV CHANDAR DHAKNE(SI (Sub-Inspector)) or (किंवा) 15101000402SCDM8601H

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):
Rank (पद):

No.(क्र.): to take up the investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)

(3) Refused investigation due to (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) Transferred to P.S.(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

विट बहादुर

15. Date and time of dispatch to the court (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची)

Name (नाव): SADASHIV CHANDAR DHAKNE
Rank(पद): SI (Sub-Inspector)

No.(सं.): 15101000402SCDM8601H

मनापोक विना पल्याके / 1313

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / (संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सवयी)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)